(राजस्थान सरकार)

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला कोटपूतली–बहरोड

पीठासीन अधिकारी : कल्पना अग्रवाल (I.A.S)
प्रार्थना पत्र : 29/2025 रेफरेन्स प्रकरण अन्तर्गत धारा 14(4)
तारीख रजू : 25.02.2025

उनवान :

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज0। – प्रार्थी

बनाम

1. रामप्रताप उर्फ प्रसादीलाल पुत्र रूडमल डाकोत निवासी गोनेडा, तहसील कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज0।
2. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम जरिये क्षेत्रीय प्रबन्धक रिको शाहजहांपुर, बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज0। – अप्रार्थीगण

रेफरेन्स प्रकरण अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

निर्णय

दिनांक : 09.05.2025

1. तहसीलदार कोटपूतली द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रकरण का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 25 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा का आवंटन दिनांक 27.02.1976 को वाके ग्राम केशवाना गुर्जर में श्री रामप्रसाद पुत्र रूड़मल जाति डाकोत, निवासी गोनेड़ा, तहसील कोटपूतली को आवंटन किया गया था जिसके हाल नम्बर 32 रकबा 22.00 बनता है। आवंटी का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है, नियमानुसार 3 साल के अन्तर्गत आवंटित रकबा पर काश्त करना चाहिए। आवंटी द्वारा आवंटन नियमों के बाबत पालना नहीं की गई है। उक्त आराजी का दिनांक 01.01.1993 को राजस्थान औद्योगिक विकास नियम (रीको) को आवंटन हो चुका है तथा कब्जा दिया जा चुका है तथा रिकार्ड में भी रीको के नाम इन्द्राज हो चुका है। अतः दिनांक 27.02.1976 को आवंटी रामप्रसाद पुत्र रूड़मल के नाम किये गये आवंटन को निरस्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970 के तहत पेश किया है।
2. अप्रार्थी संख्या 01 ने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया कि उक्त आराजी का आवंटन अप्रार्थी संख्या 01 को आवंटन किया गया था तथा अप्रार्थी ने कब्जा मिलने के पश्चात लगातार जमीन काश्त की है। अप्रार्थीगण ने कोई अवहेलना नही की है। उक्त आराजी का दिनांक 01.01.1993 को राजस्थान औद्योगिक विकास नियम (रीको) को आवंटन गलत किया गया है तथा उसके नाम राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि भी गलत रूप में की गई है। अप्रार्थी को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया है तथा यह कार्यवाही अप्रार्थी के हितों के विरूद्ध पुर्णतया बेअसर है। ग्राम केशनवाना गुर्जर में सन् 1974 में बन्दोबस्त की कार्यवाही चालू हो गई थी। अतएव राजस्व अभिलेख बन्दोबस्त विभाग में चला गया। सन् 1980 में यह ग्राम जिला अलवर तहसील बहरोड का ग्राम बन गया था। अतएव राजस्व विभाग में बन्दोबस्त के दौरान तहसील कोटपूतली बहरोड़ से रिकार्ड वापिस आया तब तक बन्दोबस्त हो चुका था। राजस्व अभिलेख में यह सिवायचक दर्ज रह गयी जबकि कब्जा अप्रार्थी का है। अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है केवल राजस्व अभिलेख में प्रविष्ट नही होने से अधिकारों पर कोई फर्क नही पड़ता है। कानूनी रूप से 30 साल के अन्तराल के पश्चात आवंटन निरस्त नही किया जा सकता।
3. पैरोकार सरकार उपस्थित आये। अप्रार्थीगण अनुपस्थित। पैरोकार सरकार की एक पक्षीय बहस सुनी गई। राजकीय पैरोकार ने अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए अभिकथन किया कि आवंटी का मौके पर कब्जा काश्त नही है। नियमानुसार निर्धारित समय में अप्रार्थी द्वारा आवंटित रकबा पर काश्त करनी चाहिए थी जिसकी पालना आवंटी द्वारा नही की गई। उक्त आराजी राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम (रीको) को आवंटित हो चुकी है तथा कब्जा दिया जा चुका है एवं रिकार्ड में भी रीको के नाम इन्द्राज हो चुका है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त करने के आदेश फरमावें जावें।

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

4. पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया तथा पैरोकार की बहस पर मनन किया गया तो पाया कि प्रार्थी तहसीलदार बानसूर द्वारा आवंटी के विरूद्ध रेफरेन्स प्रकरण अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970 के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर आवंटन को निरस्त करने के लिए निवेदन किया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आराजी राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम (रीको) को आवंटित हो चुकी है तथा कब्जा दिया जा चुका है एवं रिकार्ड में भी रीको के नाम इन्द्राज हो चुका है तथा मौके पर अप्रार्थी का कोई कब्जा नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) आवंटन नियम 1970 का स्वीकार किया जाकर आवंटी का आवंटन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी तहसीलदार कोटपूतली जिला कोटपूतली बहरोड़ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 01 को दिनांक 27.02.1976 को ग्राम केशवाना गूर्जर में आवंटित साबिक आराजी खसरा नम्बर 25 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 32 रकबा 22.00 का आवंटन निरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति तहसीलदार कोटपूतली को पालनार्थ भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील जिला लेख भण्डार हो।

6. निर्णय आज दिनांक 09.05.2025 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पना अग्रवाल)
आई.ए.एस.
जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़ (राज.)